स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : सिंह एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, तह0 सदर, जिला–वाराणसी (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :– संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें :–

1. बालक बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।
2. बालक/बालिकाओं के लिये कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर, औद्योगिक, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की जानकारी प्रदान करना एवं उन्हें स्वंय रोजगार पूरक बनाने का प्रयास करना।
3. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का ज्ञान कराना।
4. समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड सिफ्सा, कपाट, नाबार्ड, जिला ग्राम्य विभाग, नेडा, डूडा सूडा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों का भागीदारी करना।
5. विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना करना।
6. समये–समये पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन करना एवं संगीत विद्यालयों की स्थापना करना।
7. पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता एवं प्रदूषण से होने वाले नुकसान पर प्रदर्शनी, शिविर का आयोजन एवं वृक्षारोपण कराना।
8. कृषि पैदावार को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिविर, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा उच्च कोटि के बीजों का प्रदर्शन करना।
9. कुष्ठ रोगों का निवारण एवं रोगियों हेतु आश्रम की स्थापना कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना।
10. आंगन बाड़ी, बाल वाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों का संचालन करना।
11. समस्त समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा एवं ग्राम्य सेवा का कार्य करना।
12. पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अनुसार उनकी सहायता करना एवं उन्हें निःशुल्क मार्गदर्शन देना।
13. चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न भंयकर विमारियों जैसे–कैंसर, तपेदिक मलेरिया, मोतिया बिन्द, एड्स, पल्स पोलियों, टीकाकरण तथा हेपेटाइटिस जैसे भयंकर विमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देना।
14. महिलाओं के विकास के लिए सिलाई, कढ़ाई, कटाई, पेन्टिंग, ब्यूटी पार्लर, काष्ट कलॉ आदि की शिक्षण एवं हस्त शिल्प के शिक्षण/प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
15. बाल श्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके बालकों को शिक्षित करना तथा उन्हें स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करना।
16. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
17. कन्याओं की भ्रूणहत्या रोकने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाना।
18. सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, नशा तथा दहेज प्रथा धुम्रपान, जुआ तथा नशीली दवाओं का प्रयोग आदि के साथ–साथ समाज में फैले अन्धविश्वास, छुआ–छूत आदि रीति रिवाजों को दूर करना।
19. स्वंय सहायता समूह का गठन करना तथा असहाय निर्धन महिला श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक [illegible] फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स [illegible] मण्डल वाराणसी

प्रति [illegible] कर्ता

[illegible] कर्ता

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता, पति का नाम पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्य भार सौपा गया है।

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	भागवत सिंह पुत्र श्री हूब नारायण सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	अध्यक्ष	कृषि
2.	सन्तोष कुमार सिंह पुत्र श्री हूब नारायण सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	उपाध्यक्ष	सर्विस
3.	अनिल कुमार राय पुत्र श्री हूब नारायण सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	प्रबन्धक/ सचिव	समाजसेवा
4.	विजय कमार सिंह पुत्र श्री सन्तोष कुमार सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	विद्यावती सिंह पत्नी श्री भागवत सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	गृहणी
6.	सरोज सिंह पत्नी श्री सन्तोष कुमार सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	गृहणी
7.	शशी राय पत्नी श्री अनिल कुमार राय	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	गृहणी
8.	नवनीत कुमार सिंह पुत्र स्व0 आत्मा प्रसाद सिंह	ग्रा0 तेन्दुई पो0 हाथी बाजार, जिला–वाराणसी	सदस्य	सर्विस
9.	हूब नारायण सिंह पुत्र स्व0 डिंगुर सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	कृषि

6. हम निम्नलिखिति हस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि0 अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना चाहते है।

दिनांकः———— हस्ताक्षर....

भागवत सिंह सन्तोषकुमारसिंह Anil

अनिल राय विजय कुमार सिंह

विद्यावती सिंह सरोज सिंह

नवनीतकुमारसिंह हूबनारायनसिंह

सत्य प्रतिलिपि

नियमावली

1. संस्था का नाम : सिंह एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : ग्रा0 मदवर पो0 काशीपुर, तह0 सदर, जिला–वाराणसी (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 1001/–रू0 नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 101/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेगें वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

5. **सदस्यता की समाप्ति** : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
   4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग–पत्र प्राप्त होने पर।
   5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
   6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
   7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6. **संस्था के अंग** : (अ) साधारण सभा
   (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. **साधारण सभा**

(क) **गठन** : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख) **बैठकें** : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्कतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) **सूचना अवधि** : साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) **गणपूर्ति** : साधारण सभा की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ड.) <u>संस्था का वार्षिक अधिवेशनः</u>–

संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगी।

(च) <u>साधारण सभा के कर्तव्यः</u>–

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
2.. संस्था की स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

8. <u>प्रबन्धकारिणी समितिः</u>–

(क) <u>गठन</u> :– प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक / सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा 5 प्रबन्धसमिति के सदस्य होगें।

(ख) <u>बैठके</u> :– प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) <u>सूचना अवधि</u> :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) <u>गणपूर्ति</u> :– प्रबन्ध समिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ड.) <u>रिक्त स्थानों की पूर्ति</u> :– प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिये कर लिया जायेगा।

(च) <u>प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकारः</u>–

1. संस्था के बजट पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिये दान, अनुदान, चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कासित करना।

5. संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना।
6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

(छ) कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

अध्यक्षः–

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत दान होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
3. बैठक करने के लिये प्रबन्धक/सचिव के राय से दिनांकों का अनुमोदन करेगा।
4. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

उपाध्यक्षः–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

प्रबन्धक/सचिवः–

1. संस्था के लिये दान अनुदान चन्दे आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
3. बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनाये देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
4. संस्था से सम्बन्धित कागजात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
7. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
8. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
9. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

कोषाध्यक्षः–

1. संस्था के आय–व्यय का हिसाब किताब तैयार करना।
2. संस्था आय–व्यय के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
3. प्रबन्धक/सचिव के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः–
साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संसोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोषः– किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षणः–
संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय–व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्वः–
संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक / सचिव पर होगा।

14. संस्था के अभिलेखः– संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा।
1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि

15. संस्था के विघटनः– संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य–प्रतिलिपि

दिनांक..................

हस्ताक्षर...........

भागवत सिंह [signature] [signature]

(विजय कुमार) सिंह

विद्यावती सिंह सरोज सिंह

[signature] [signature]

दुवनारायनसिंह

सिंह एजुकेशनल सोसाइटी

ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर तह0 सदर, जिला–वाराणसी

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्षः– 2013–2014

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	सन्तोष कुमार सिंह पुत्र श्री हूब नारायण सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	अध्यक्ष	सर्विस
2.	अनिल कुमार राय पुत्र श्री हूब नारायण सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	विद्यावती सिंह पत्नी स्व0 भागवत सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	प्रबंधक/ सचिव	गृहणी
4.	विजय कुमार सिंह पुत्र श्री सन्तोष कुमार सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	मधुप कुमार राय पुत्र श्री अनिल कुमार राय	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा
6.	सरोज सिंह पत्नी श्री सन्तोष कुमार सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	गृहणी
7.	शशी राय पत्नी श्री अनिल कुमार राय	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	गृहणी
8.	नवनीत कुमार सिंह पुत्र स्व0 आत्मा प्रसाद सिंह	ग्रा0 तेन्दुई पो0 हाथी बाजार, जिला–वाराणसी	सदस्य	सर्विस
9.	हूब नारायण सिंह पुत्र स्व0 डिंगुर सिंह	ग्रा0 भदवर पो0 काशीपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	कृषि

दिनांकः– 28/03/13

हस्ताक्षर——

सत्य–प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

18.4.13

फर्म्स ... एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि ...

मिलान कर्ता ...

विजय कुमार सिंह

विद्यावती सिंह